न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 105/2022 **अनवान** भैराराम बनाम तहसीलदार बागोडा

दिनांक 24.08.2022

उक्त अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 उपखण्ड अधिकारी बागोडा मुकाम केम्प जैसावास, मुकदमा नम्बर 284/2021 में पारित आदेश दिनांक 05.01.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जावे।

वकील अपीलांट उपस्थित। अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट की बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की बिना सहमती तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलांट की खातेदारी भूमि ग्राम जेतावास के खसरा नम्बरान 632 की भूमि में (विवादित अपीलांट के कब्जे की भूमि) से गै.मु. रास्ता दर्ज करने बाबत आदेश पारित कर दिया, जो विधिविरूद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना एवं प्रभाव को रोकने अथवा विकल्पतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2022 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया गया।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर भी मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये तहसीलदार के प्रस्ताव अनुसार एकतरफा आदेश पारित किया गया है। जो विधि एवं न्याय संगत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा द्वारा कैम्प जैतावास में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2022 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट तथा स्थानीय जनप्रतिनिधी (सरपंच), हल्का पटवारी, गिरदावर, प्रधानाध्यापक राजकीय विद्यालय जैतावास व आस–पडोस के सभी संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर तहसीलदार की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। सूचना के उपरांत यदि कोई मौके पर नही आवे तो उसे बावजूद सूचना अनुपस्थित माना जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर